



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग द्वारा अपने अधिनस्थ कार्यरत विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ अध्यापकों के विलोपन एवं संशोधन के आदेश प्रसारित करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न वर्गों के द्वितीय वेतन वृद्धता अध्यापक की मिश्रित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूचियों में निम्न प्रकार से विलोपन एवं संशोधन के आदेश प्रसारित किये जाते हैं। अतः तबनुसार संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टि कर कार्यवाही करें :-

क्र.स.	राज्य वरिष्ठता क्रमांक	मण्डल वरिष्ठता क्रमांक	मण्डल का नाम	वर्ष	नाम लोक सेवक/पिता का नाम मय पदस्थापन स्थान सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1	1006(8)	429(26)	जयपुर	1993-94	श्री वृजलाल चौधरी/खेताराम व0अ0 रामावि रुकणसर सीकर	10-07-1966	आदेश दिनांक 04.04.2019 में क्रम संख्या 55 पर दर्ज कार्मिक के विलोपन आदेश प्रत्याहरीत किये जाते हैं।
2	2408	710	जयपुर	1990-91	श्री वृजलाल चौधरी/खेताराम व0अ0 रामावि रुकणसर सीकर	10-07-1966	कार्मिक का अ.म.स्था. जयपुर मण्डल का.प्र. दिनांक 19.08.1993 में होने के कारण नाम विलोपन किया जाता है।

संयुक्त निदेशक, (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

दिनांक 26.10.2020

क्रमांक: शिक्षा/मा/संस्था/वरि/के-1/11968(1)/द्विवर्ष/रा.स्तर/संशो/2020
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग, राजस्थान।
2. अनुभाग अधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, ओएसी, डीपीसी प्रभाग / संस्थापक एबी अनुभाग
4. रचित पत्रावली/प्रचारी के-2 प्रभाग।

संयुक्त निदेशक, (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।